कार्यपालक अभियंता का कार्यालय,
उत्तर कोयल नहर प्रमण्डल, नवीनगर।

Email ID-nkcd1975 @gmail.com

पत्रांक........................./नवीनगर, दिनांक....................../2026

भाड़े पर वाहन रखने हेतु अति–अल्पकालीन कोटेशन आमंत्रण सूचना सं०–03/2025–26

एतद् द्वारा सर्वसाधारण वाहन मालिक को सूचित किया जाता हैं कि कार्यपालक अभियंता, उत्तर कोयल नहर प्रमण्डल, नवीनगर अंतर्गत विभिन्न कार्यो के सम्पादन, योजनाओं एवं नहरों का निरीक्षण एवं उच्चधिकारियों के बैठक में भाग लेने इत्यादि कार्यो के निमित निम्नलिखित पदाधिकारियों हेतु उनके पदनाम के सम्मुख अंकित व्यवसायिक वाहन दिनांक–01 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2027 तक के लिए अग्रलिखित शर्तो के अधीन इच्छुक वाहन मालिक/फर्म से मुहर बंद दर कोटेशन आमंत्रित किया जाता है।

क०सं०	पदाधिकारी का पदनाम	वाहन का प्रकार	वाहन की संख्या	वाहन का दर	अभियुक्ति
01	कार्यपालक अभियंता, उत्तर कोयल नहर प्रमण्डल, नवीनगर हेतु।	स्कॉर्पियो (व्यवसायिक वाहन)	01 अदद	27500/– (सताईस हजार पाँच सौ रूपये) मात्र प्रति माह।	
02	अवर प्रमण्डल पदाधिकारी उत्तर कोयल नहर अवर प्रमण्डल, रोड–01 एव रोड–02 हेतु।	बोलेरो (व्यवसायिक वाहन)	01 अदद	17400/– (सत्रह हजार चार सौ रूपये) मात्र माह।	

1. कोटेशन आमंत्रित सूचना निर्गत करने की तिथि :– दिनांक 25.03.2026
2. कोटेशन जमा करने की तिथि :– दिनांक– 07.04.2026 3:00 बजे अपराह्न तक।
3. कोटेशन जमा करने का स्थान :– कार्यपालक अभियंता, उत्तर कोयल नहर प्रमण्डल, नवीनगर।
4. कोटेशन खोलने की तिथि एवं समय :– दिनांक–07.04.2026 3:30 बजे अपराह्न में।
5. विज्ञापन दाता का पदनाम एवं पता :–कार्यपालक अभियंता, उत्तर कोयल नहर प्रमण्डल, नवीनगर मो0–7004682964

25/03/26

(ई० रवि कांत दास)
कार्यपालक अभियन्ता,
उत्तर कोयल नहर प्रमण्डल,
नवीनगर।

शर्ते निम्नवत है :–

1.भाड़े पर वाहन विभागीय निर्देशानुसार दिये गये अवधि तक के लिए लिया जायेगा व्यवसायिक निबंधन अनिवार्य है।.

2.वाहन का निबंधन व्यवसायिक वाहन के रूप में होना चाहिए एवं उन्हें व्यवसायिक उपयोग हेतु बिहार राज्य के सक्षम परिवहन प्राधिकार के स्तर से परमिट प्राप्त होना चाहिए (वाहन पीले नंबर प्लेट वाला व्यवसायिक वाहन होना चाहिए)।

3.भाडे पर दिये जाने वाले वाहन अच्छी स्थिति में होना चाहिए इसके लिए फिटनेस प्रमाण पत्र मोटरयान निरीक्षण (MVI)से कराकर प्रस्तुत करना होगा।

4.वाहन का दैनिक रख–रखाव (चालक सहित) एवं उसके सभी प्रकार के मरम्मति, तौलिया उपलब्ध कराना एवं इसकी साप्ताहिक सफाई आदि पर होनेवाले व्यय वाहन मालिक/फर्म द्वारा वहन किया जायेगा। चालक का वेतन का भुगतान, आवासन एवं भोजन आदि का व्यवस्था वाहन मालिक/फर्म द्वारा ही किया जायेगा।

5..वाहन के भुगतान पर नियमानुसार सभी प्रकार के करो अर्थात् जी०एस०टी० आदि का भुगतान वाहन मालिक/आपूर्तिकर्ता को स्वयं करना होगा एवं अन्य शुल्क आदैयता की जिम्मेदारी वाहन मालिक की होगी। विभाग द्वारा किसी प्रकार के कर का भुगतान नहीं किया जायेगा।

6.वाहन का कागजात टैक्स बीमा आदि मोटरयान अधिनियम अनुसार अद्यतन होना चाहिए एवं वाहन का वैध निबंधन पत्र, बीमा, रोड टैक्स एवं प्रदूषण प्रमाण पत्र वाहन परिचालन के दौरान अद्यतन रखना होगा एवं वाहन चालक के पास अद्यतन वैध ड्राईविंग लाईसेन्स होना चाहिए।

7.वाहन की चोरी या दुर्घटना अथवा क्षति होने पर चालक सहित जिम्मेदारी वाहन मालिक/फर्म का होगा।

8. वाहन के उपयोग के विरूद्ध किराया प्रति माह ईधन रहित एवं चालक सहित देय होगा।

9. वाहन का ईधन रहित(चालक सहित) प्रतिमाह का न्यूनतम दर के कोटेशन वाहन दाता के साथ एकरारनामा किया जायेगा। सेवा संतोष जनक नहीं होने पर अथवा वाहन की आवश्यकता नहीं रहने पर कभी भी बिना कारण बताये एकरारनामा समाप्त कर दिया जायेगा। आवश्यकता के अनुसार वाहन की संख्या घटायी या बढ़ायी जा सकती है।

10.वाहन का उपयोग वाहन मालिक/वाहन आपूर्तिकर्ता निजी अथवा अन्य व्यवसायिक उपयोग में नही करेगें।

11.वाहन उपयोग हेतु 24 घंटे संबंधित पदाधिकारी/पदाधिकारियों के नियंत्रण में रहेगा। वाहन खराब हो जाने पर वाहन मालिक/फर्म का दायित्व होगा की वे तुरन्त दूसरा वाहन उपलब्ध कराएँगें अगर वे ऐसा नहीं करते है तो उस दिन के लिए भाड़े के रूप में देय राशि के दोगुने दर से कटौती कर ली जायेगी। इच्छुक वाहन मालिक/फर्म का उक्त क्रमांक 01 से 17 तक के शर्तो को स्वीकार करन से संबंधित अपना शपथ पत्र (नोटरी द्वारा निर्गत) एवं क्रमांक 2,3,5 एवं 6 से संबंधित कागजात की सत्यापित प्रति कोटेशन के साथ समर्पित करेंगे। एक से अधिक समान न्यूनतम दर के कोटेशन प्राप्त होने पर दिनांक–07.04.2026 को 4:00 बजे अपराहन में वैध कोटेशन वाहन दाता के बीच लॉटरी के माध्यम से वाहन मालिक /फर्म का चयन किया जाएगा। स्थानीय (जिला –औरंगाबाद) कोटेशन धारी को प्राथमिकता दी जायेगी।

12. वाहन का किराया प्रतिमाह स्कॉर्पियो हेतु 27500/– (सताईस हजार पाँच सौ रूपये) मात्र एवं बोलेरो हेतु 17400/–(सत्रह हजार चार सौ रूपये) प्रति माह अधिकतम अथवा आपके द्वारा उद्वत दर में से न्यूनतम दर स्वीकार्य होगा, तथा भुगतान प्रत्येक माह के बाद विपत्र प्रस्तुत करने पर उपलब्ध आवंटन के विरूद्ध किया जाएगा।

13. विभागीय मापदंड के अनुरूप नियमानुकूल कटौती की जायेगी।

14.सशर्त कोटेशन दर मान्य नहीं होगा। कोटेशन शर्त के अनुकूल वांछित कागजात यथा GST, PAN, Registration, Aadhar Card, Driver का वैध लाईसेन्स एवं शपथ पत्र जमा नहीं किए जाने पर कोटेशन अमान्य कर दिया जाएगा।

15.चालक के द्वारा किसी भी तरह के चोरी, दुर्व्यहार इत्यादि के लिए वाहन आपूर्तिकर्ता व्यक्तिगत रूप से जिम्मेवार होंगे।

16.चालक द्वारा सड़क सुरक्षा नियमों का पालन नहीं करना/अन्य किसी भी नियमों का पालन चालक तथा वाहन आपूर्तिकर्ता द्वारा नहीं किया जाना, के लिये विभाग जिम्मेवार नहीं होगा। चालक एवं वाहन आपूर्तिकर्ता मोटरवाहन कानून के नियम एवं अधिनियम का पूर्ण रूपेण अनुपालन करेंगे तथा वर्तमान एवं भविष्य में आने वाले सभी नियम अधिनियमों का पालन करेंगे। किसी भी त्रुटि के लिए विभाग जिम्मेवार नहीं होगा।

17.जिला प्रशासन औरंगाबाद द्वारा बोलोरों /स्कॉपियों के निर्धारित दर से अधिक उद्वत किया गया दर मान्य नहीं होगा।

(signature) 23/03/26

(ई० रवि कांत दास)
कार्यपालक अभियन्ता,
उत्तर कोयल नहर प्रमंडल,
नवीनगर।

पत्रांक–....393..../   नवीनगर, दिनांक–....25/3..../2026

प्रतिलिपि–सूचना एवं जन–सम्पर्क पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग, बिहार पटना को विभागीय वेबसाईट पर प्रचारित (upload) करने हेतु एवं विभिन्न समाचारपत्रों प्रकाशन हेतु हार्ड कॉपी एवं सॉफ्ट कॉपी के साथ समर्पित।

25/03/26

(ई० रवि कांत दास)
कार्यपालक अभियन्ता,
उत्तर कोयल नहर प्रमण्डल,
नवीनगर।